न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 59 / 19 व 2019 / 00097

1. हनुमान बि नोई पुत्र श्री बालूराम जाति बि नोई निवासी वार्ड नं0 23 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. कृश्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बि नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. संदीप कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बि नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. भादरराम पुत्र सोहनलाल जाति बि नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
4. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति बि नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
6. उपपंजीयक खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाशकगण :–

1. श्री बद्रीप्रसाद सिंवर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रिछपाल बि नोई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
1. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदे ा **दिनांक :– 14.01.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट राजस्थान का तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी के चक 1 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0न0 101 / 29 के किला नं0 1,2,9,10,11 में कुल 4.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। जिसमें आने जाने के लिए मुताबिक नक ाा 365 हेड रोड़ से इसी मुरब्बा के किलानं0 3 ता 4 पूर्व से प िचम 4–4 बिस्वा अर्थात 32 फीट चौड़े रास्ते से अपने खेत में जाता है। जो रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 के नाम दर्ज है। जिसे न्यायहित में कटान कर रिकॉर्ड में रास्ता खेत दर्ज किया जाकर चालू करवाने की इस्तदुवा की है।

प्रार्थना पत्र पे ा होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 मय अधिवक्ता उपस्थिति आये। जिन्होनें इकबालिया जवाब पे ा किया। उभयपक्ष को सुना गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व नक ाा मौका का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी जोत में जाने के लिए किला नं0 3 ता 4 में रास्ते की अत्यांतिक आव यकता है। तथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से समझौता भी हो चुका है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पे ाकर अपनी खातेदारी किलानं0 3 ता 4 में 4–4 बिस्वा पूर्व से प िचम खेत की सींव पर देने की सहमति दी है। और अपने जवाब के पैरा सं0 5 में साफ जाहिर किया कि हमने बिना किसी दवाब उक्त रास्ता दिया है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 3 ता 4 में यदि 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है। तो प्रार्थी कोा एतराज नहीं है और ना ही कोई दावा क्लेम भविश्य में करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। तथा पक्षकारों में भी न्याय की मं ाा है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदे ा दिया जाता है कि चक 1 बी.आर.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 101/29 के किला नं0 3 ता 4 में 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से प िचम मुरब्बे के सींव पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर मौके पर चालू करवावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदे ा की पालना सुनि िचत करें पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)